बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 414023 दिनांक :- 26.02.2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-05-02/15 (पार्ट)

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- वित्त विभाग* ।

विषय:- **ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के अन्तर्गत चिन्हित पदों के विरूद्ध कुल 415 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं 344 पदों के प्रत्यर्पण ।**

आदेश:- स्वीकृत ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रशासन के मूलभूत स्तर को और सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय प्रशासन को अधिक कारगर बनाने, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कुशल पर्यवेक्षण, अनुश्रवण के दृष्टिकोण एवं ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के मूल कोटि से उच्च स्तर के पद की संरचना को संतुलित करने एवं समरूप किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 की अनुसूची-1 (मूल संवर्ग सहित) बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 415 पदों के सृजन एवं 344 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो निम्नवत् है :-

संवर्ग	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**प्रत्यर्पित पदों की संख्या**	**नवसृजित पदों की संख्या**	**कुल पद**
मूल कोटि	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	534	-	286	820
	सहायक परियोजना पदाधिकारी	138	62	-	76
	अवकाश रक्षित	-	-	51	51
प्रथम प्रोन्नति स्तर	प्रखंड विकास पदाधिकारी	534	-	-	534
	कार्यपालक दंडाधिकारी	147	-	-	147
द्वितीय प्रोन्नति स्तर	सहायक जिला विकास पदाधिकारी	228	228	-	-
	सहायक प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	54	54	-	-
	परियोजना पदाधिकारी-सह- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन	-	-	38	38
	परियोजना पदाधिकारी-सह- निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम	-	-	38	38
	जिला विकास पदाधिकारी	38	-	-	38
तृतीय प्रोन्नति स्तर	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	10	-	-	10
	प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	9	-	-	9
चतुर्थ प्रोन्नति स्तर	अपर निदेशक	-	-	02	02
	कुल पद	**1692**	**344**	**415**	**1763**

2. पूर्व से स्वीकृत सहायक प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी का 54 पद, सहायक जिला विकास पदाधिकारी का 228 पद एवं सहायक परियोजना पदाधिकारी का 62 पद अर्थात् कुल 344 पदों का प्रत्यर्पण किया जाता है ।

3. इन पुनर्गठित पदसोपानों/ पदों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर अनुमान्य होगा।

4. उपरोक्त सृजित पदों पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड-42-2515001020001)" के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग, 2010 के उपरोक्त वर्णित पदों के सृजन में प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 22.02.2019 की संपन्न बैठक तथा विभागीय संलेख ज्ञापांक 413520 दिनांक 25.02.2019 में सन्निहित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.02.2019 की बैठक में मद संख्या-39 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/2/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक :- 414023 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 26.02.2019

ग्रा0वि0 3/स्था0-5-02/15 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. की दो प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

26/2/2019

सचिव

ज्ञापांक :- 414023 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 26.02.2019

ग्रा0वि0 3/स्था0-05-02/15 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ विभागीय बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/2019

सचिव

ज्ञापांक :- 414023 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

प्रतिलिपि - सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

26/2/2019

सचिव